न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 08/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 जगाराम पुत्र भगवानाराम 2 पांचाराम पुत्र भगवानाराम 3 धर्मदेवी बैवा, भगवानाराम जातियान–कलबी, निवासीगण– [illegible]ली, तहसील व जिला सांचौर		राज्य सरकार जरिये भूमियारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सांचौर बावजूद सूचना(तामील) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही ।

:– निर्णय :– दिनांक :– 11.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके सरहद मौजा गरडाली पटवार हल्का–गोलासन प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 403 रकबा 4.54 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर [illegible]र्थीगण का अपने बाप दादाओं के समय से कब्जा काश्त है एवं प्रार्थीगण शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के अन्दर पश्चिम दिशा में खाता संख्या 23 की भूमि आई हुई है। जिसमें कुल 06 खसरा है। उक्त खाता संख्या 23 में स्थित कुल 06 खसरों में से 01 खसरा 396 गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 403 के लगती हुई खातेदारी भूमि खाता संख्या 23 आयी हुई है। जिसके खातेदार बदमाश एवं आपराधिक प्रवृति के लोग है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 403 की भूमि को खाद बीज डालकर उपजाउ बनाया है। खाता संख्या 23 में स्थित गैर मुमकिन रास्ता 396 की भूमि अन्[illegible] के साथ शामिल है जिसका प्रार्थीगण की भूमि से कोई लेना [illegible] के खातेदार आए दिन ट्रैक्टर व लोडर मशीन चलाकर [illegible] को खिसकाते रहते है जिसके कारण खसरा संख्या 396 गैर मुमकिन रास्ता की माठ [illegible]कर वास्तविक स्थिति के अनुसार मौके पर नहीं है माठ के आलामात को ट्रैक्टर चलाकर तोड़ दिया है तथा प्रार्थीगण के खेत की करीबन 10 मीटर भूमि के अन्दर रास्ता घुसा दिया है प्रार्थीगण द्वारा उक्त माठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:47:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

की नेखम कायम कर माठ बनाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन मौके पर विवाद पैदा कर माठ कायम करने नहीं दी जा रही है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम गरडाली पटवार हल्का–गोलासन में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 403 की उत्तर–पश्चिम माठ की पैमाईश कर नेखमबंदी करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना (तामील) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की मौजा गरडाली ने प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 403 रकबा 4.54 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आया हुआ है। उक्त आराजी के लगती खाता संख्या 23 की भूमि आई हुई है जिनके खातेदार बदमाश प्रवृती के लोग है। तथा हमने खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 403 की उतर पश्चिम की माठ तोड़ते रहते है। जिसका स्थाई समाधान करने हेतु खेत खसरा संख्या 403 के उतर पश्चिम की माठ पर स्थाई समाधान हेतु नेखमबंदी किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार माना जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम मौजा गरडाली के खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 403 का व नक्शा व पड़ौस के खाता संख्या 23 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 403 व खाता संख्या 23 की भूमि के बीच खसरा संख्या 396 रास्ता की भूमि आई हुई है। खाता संख्या 23 के खातेदारान का प्रार्थीगण की भूमि खेत खसरा संख्या 403 से काई लेना–देना [illegible] है तथा प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि की स्थाई नेखमबंदी कर उसकी सुरक्षा करने का पूर्ण रूप से कानुनी अधिकार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 403 रकबा 4.54 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कर उतर पश्चिम की माठ पर खसरा संख्या 403 की सीमा [illegible] नेखमबंदी करावें। नेखमबंदी का तमाम खर्चा प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:47:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner